पन्नालाल बनाम दीनाराम वगै. 15/54/18

05/07/18

05/9/18

प्रार्थना पत्र 9(1) व नियम 9(1) व नियम 9(2) के अधीन विपक्षी गणों ने प्रतिवादित किया कि पीठासीन अधिकारी, SDO-मुंडावर का कार्यालय से चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने प्रार्थी का अभिकथन सुना। SDO-मुंडावर का कार्यालय से चुका है। प्रार्थी के अभिभाषक का अभिभाषण सही है। प्रार्थना पत्र मुहर्रिर कार्यालय किया जावे। प्रार्थी की ओर से मुकदमा हेतु दिनांक 15.10 परिभाषित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)